राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/एपीओ/2019/ 9750 दिनांकः– 29/9/19

:: आदेश ::

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प–2/1/7/रातस/2019/7899 दिनांक 26.08.2019 के द्वारा श्री मुकेश चंद मीण तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर का स्थानान्तरण /पदस्थापन तहसीलदार धरियावाद जिला प्रतापगढ़ के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 14616/2019 दायर की गई। उक्त याचिका में मा. न्यायालय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 19.9.19 पारित करते हुए मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 26.08.2019 के प्रभाव एवं कियान्वन को याचि के सम्बंध में आगामी आदेशों तक स्थगित करते हुए श्री मीणा को तहसीलदार सांगानेर के पद पर कार्य करने हेतु आगामी आदेशों तक अनुमति दी है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19.09.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 26.08.2019 के द्वारा श्री मुकेश चंद मीणा तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर का तहसीलदार धरियावाद जिला प्रतापगढ़ के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही उक्त के परिणामस्वरूप श्री जगदीश सिंह आशिया, तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/ 9751-61 दिनांकः– 29/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, जयपुर/प्रतापगढ़।
4. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
5. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
6. सम्बंधित श्री ....।
7. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/प–2/1/7/रातस/एपीओ/2019/ 9764 दिनांकः– 29/9/19

:: आदेश ::

मण्डल के आदेश क्रमांक राम/प–2/1/7/रातस/2019/8348 दिनांक 30.08.2019 के द्वारा श्रीमती शिप्रा जैन उप–पंजीयक निवाई जिला टोंक का स्थानान्तरण /पदस्थापन तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी के पद पर किया गया था। जिसके विरूद्ध इनके द्वारा मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्या 16612/2019 दायर की गई। उक्त याचिका में मा. न्यायालय जयपुर द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 26.9.19 पारित करते हुए मण्डल के स्थानान्तरण आदेश 30.08.2019 के प्रभाव एवं कियान्वन को याचि के सम्बंध में आगामी आदेशों तक स्थगित करते हुए श्रीमती जैन को उप–पंजीयक निवाई के पद पर कार्य करने हेतु आगामी आदेशों तक अनुमति प्रदान कर वेतन आहरण की स्वीकृति दी है।

अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 26.09.2019 की पालना में मण्डल के आदेश दिनांक 30.08.2019 के द्वारा श्रीमती शिप्रा जैन उप–पंजीयक निवाई जिला टोंक का तहसीलदार तालेडा जिला बूंदी के पद पर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन मा. न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाकर यथावत उप–पंजीयक निवाई जिला टोंक के पद पर पदस्थापित किया जाता है। साथ ही उक्त के परिणामस्वरूप श्री बद्रीनारायण उप–पंजीयक निवाई जिला टोंक को एपीओ किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निर्धारित किया जाता है।

आदेशानुसार

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर

क्रमांकः सम/ 9765–79 दिनांकः– 29/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ,शासन सचिवालय राज. जयपुर ।
3. महानिरीक्षक , पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान अजमेर।
4. जिला कलेक्टर, टोंक/बूंदी।
5. विशिष्ट सहायक माननीय राजस्व मंत्री महोदय शासन सचिवालय जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (गोपनीय/जांच/रिट/कम्प्यूटर) राजस्व मण्डल राज. अजमेर।
7. सम्बंधित श्री .... ।
8. आदेश पंजिका / निजी पत्रावली।

निबन्धक
राजस्व मण्डल राज. अजमेर